

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 507/2023

अनवान : -

1. रचना पत्नी अर्जुन पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा ।

-वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. कविता पत्नी अनिल कुमार पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी शाहपुरिया
3. शकुंतला पत्नी रमेशचन्द पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी शाहपुरिया
4. शर्मिला पत्नी शीशराम पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा ।
5. अर्चना पत्नी राकेश पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 20.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 173/166 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.6430 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/3 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9610 है0 में से 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 119/93 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6320 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 49/48 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.4670 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 115/115 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.036 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.506 है0 भूमि व रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 56/58 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 23.5980 है0 भूमि में से 3557/58995 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 174/168 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.1520 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

उपरोक्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि बाबत वादीया व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 173/166 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.6430 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/3 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9610 है० में से 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 119/93 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6320 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 49/48 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.4670 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 115/115 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.036 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.506 है० भूमि व रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 56/58 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 23.5980 है० भूमि में से 3557/58995 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 174/168 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.1520 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स० 2 ता 6 का प्रतिवादीया स० 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

28  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 173/166 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.6430 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/3 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.9610 है0 में से 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 119/93 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6320 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 49/48 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.4670 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 115/115 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.036 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.506 है0 भूमि व रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 56/58 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 23.5980 है0 भूमि में से 3557/58995 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 174/168 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.1520 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 173/166 की कुल 3.6430 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/3 की कुल 1.9610 है0 में से 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 119/93 की कुल 1.6320 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 49/48 की कुल 2.4670 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 115/115 की कुल 3.036 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 114/116 की कुल 0.506 है0 भूमि व रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 56/58 की कुल 23.5980 है0 भूमि में से 3557/58995 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 174/168 की कुल 01.1520 है0 भूमि दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1

28  
उपखण्ड अधिकारी (सूचना)  
नोहर (हनुमानगढ़)

के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 507/2023

अनवान : -

1. रचना पत्नी अर्जुन पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा ।

-वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. कविता पत्नी अनिल कुमार पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी शाहपुरिया
3. शकुंतला पत्नी रमेशचन्द्र पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी शाहपुरिया
4. शर्मिला पत्नी शीशराम पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा ।
5. अर्चना पत्नी राकेश पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 507 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 173/166 की कुल 3.6430 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 24/3 की कुल 1.9610 है0 में से 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 119/93 की कुल 1.6320 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 49/48 की कुल 2.4670 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 115/115 की कुल 3.036 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 114/116 की कुल 0.506 है0 भूमि व रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 56/58 की कुल 23.5980 है0 भूमि में से 3557/58995 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 174/168 की कुल 01.1520 है0 भूमि दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

25

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा